रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 64] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 21, 1974/फाल्गुन 30, 1895
No. 64] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 21, 1974/PHALGUNA 30, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MAR 1974

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 21st March, 1974

SUBJECT.—*Terms and conditions governing the issuance of import licences financed under the Third Swiss Credit for Capital Goods.*

No. 42-ITC(PN)/74.—The terms and conditions governing the issuance of import licences financed under the Third Swiss Credit as given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

APPENDIX

CONDITIONS FOR LICENSING IMPORTS UNDER THE THIRD SWISS CREDIT

The import licences issued under the Third Swiss Credit will be subject to the following conditions:—

1. Import licences will be issued on c.i.f. basis with an initial validity period of *four* months for contracting and normally have *twelve* months for completing shipments as well as payments.

The issue of import licences with a longer initial validity period of upto 18 months for completing shipment as well as payments will, however, be considered on merits if the importer is in a position when applying for the import licence to produce adequate documentary evidence to establish the need for import licence with a longer validity period.

Subsequent revalidations of import licences for completion of shipments will be regulated as per condition at paragraph 23 under.

2. Each Import Licence will bear a superscription—"THIRD SWISS CREDIT". The suffix in the licence Code classification number will be "R/SZ".

3. Within a fortnight of the receipt of the import licence, the importer will intimate to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (W.E. III Branch) the fact of the receipt of the import licence and likely date by which the contract documents would be furnished.

4. Only capital goods of Swiss origin will be eligible to be imported under the licences issued against Third Swiss Credit.

5. The grace period facility under para 253 of the Import Trade Control Hand Book of Rules & Procedure 1973-74 will not be applicable to imports financed under this Credit.

CONTRACTING

6. Four certified copies of the provisional contract duly executed in English language and signed by both the Indian Importer and the Swiss Supplier must be furnished to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (W.E. III Branch), North Block, Central Secretariat, New Delhi *within four months from the issue of the import licence.*

Where this stipulation is not complied with within the said period, the import licence will be deemed to have become invalid. For revalidation of this import licence, the licence-holder would submit an application, along with the import licence in original to the licensing authorities giving reasons for failure to submit the contracts in the stipulated period of four months. A copy of this application will also be forwarded simultaneously to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (W.E. III Branch), New Delhi for information. Such applications would be considered by the licensing authorities on merits and the licence will be revalidated for contracting for a further period not exceeding two months. Any revalidation beyond this period will require the prior approval of the Department of Economic Affairs.

7. A contract will normally comprise an agreement signed by both the parties *viz.*, the Indian importer and the Swiss Supplier or it may comprise the order placed by the Indian importer and the acceptance/confirmation thereof in unequivocal terms by the Swiss Supplier.

8. A contract comprising a series of correspondence between the two parties frequently amending/revising the various provisions will not normally be accepted. In such cases it is advisable to prepare a final document including therein the terms agreed to by both the parties and signed as such.

GENERAL TERMS OF CONTRACT

9. The provisional contract should be placed on F.O.B. basis. The value should be expressed in Swiss Francs.

10 If any commission is to be paid to the Indian agent of the Swiss supplier, it will be shown separately from the value of the Contract. The Indian Agent's Commission will be paid in Indian rupees by the importers but will be set off against the total value of the Import Licence, calculated at the Central rate of Exchange which at present is 1 Swiss Franc=Rs. 1.896. The said rate of exchange is, however, subject to revision.

VALUE LIMITS OF CONTRACTS

11. The value of each individual contract should not be below one hundred thousand Swiss Francs (Rs. 1,90,000/- at the Central Exchange rate).

OTHER CONDITIONS

12. To make a contract eligible for financing under the Third Swiss Credit, the following provisions, apart from the conditions stipulated above, as also any others considered necessary by the contracting parties, should also be incorporated in the contract.

(i) the goods to be imported under the contract are of Swiss origin;

(ii) the two contracting parties agree that the contract is subject to the approval of both the Indian and Swiss authorities for financing under the Swiss Credit;

(iii) the prices indicated therein are firm for the duration of the contract;

(iv) the contract should contain a clause under which the Supplier should be required to advise the Swiss Credit Bank about receipt by him of payment for a shipment or part-shipment or of a guarantee deposit from the Indian Importer (referred to at para 19(i) and 19(ii) below) within a week of such receipt to enable the Swiss Credit Bank to reimburse the amount to the Government of India. Such advices by the suppliers should be furnished to the Swiss Credit Bank, in the proforma given at Annexure—I, in triplicate, with the request to the Bank to send two copies to the Embassy of India in Switzerland, who in turn would send one copy to the Controller of Aid Accounts, New Delhi.

(v) The contract should normally have no provision for financing the engagement/deputation of technicians for erection of the capital goods in India and/or for operating the plant in fulfilment of the customary performance guarantees. In case, however, the need for such a provision is considered inevitable, necessary clearances will have to be separately obtained by the Indian importer for the engagement of such expatriate personnel before entering into the contract for supply of capital goods. The contract for the supply of capital goods should be supported by certified/photostat copies of such clearances. The Indian importer should approach the concerned administrative Ministry in the Government of India or his sponsoring authority for obtaining such clearances.

(vi) The delivery schedule will be indicated in the contract clearly. Any change in the delivery schedule will be promptly reported to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (W.E. III Branch) with suitable explanation for the change.

CUSTOMARY GUARANTEE(S)

13. The importer may arrange and provide for in the agreement Customary Guarantee(s) which will be necessary for safeguarding his interest.

SUBMISSION OF CONTRACT

14. Within a month of the conclusion of the contract, the importer should send a letter accompanied by the following document to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (W.E.II Branch), North Block, Central Secretariat, New Delhi:—

(i) Four certified copies of the provisional contract duly executed in English language and signed by both the Indian Importer and the Swiss Supplier;

(ii) Photostat copy of the Import Licence valid for contracting on the date of the execution of the contract/acceptance by foreign suppliers of the order placed on him by the importer; and

(iii) Other particulars stipulated in Annexure II.

The contract will be processed further only after all these documents have been furnished by the importer.

NOTIFICATION OF THE CONTRACT

15. If the contract is complete the documents etc., are in order and the import licence is valid for contracting, the same will be notified by the Department of Economic Affairs to the Swiss authorities through the Embassy of Switzerland in India, New Delhi.

16. The contract will be deemed to have become effective only when the Department of Economic Affairs after receiving the approval of the Swiss authorities, has issued a letter to that effect.

17. After approval of the provisional contract by the Department of Economic Affairs and the Swiss authorities the final contract should be drawn up and three copies of the same forwarded to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (W.E. III Branch) as soon as possible.

PAYMENT TERMS

18. No remittance will be allowed against the Import Licence or Letter of Credit opened unless the importer-produces a letter from the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs to the effect that the contract has been made effective after the approval of both the Governments of India and the Swiss authorities.

19. (i) Ten (10) per cent of the *Invoice* value will be authorised to be remitted simultaneously with the issue of the letter making the final contract effective;

(ii) Ninety (90) per cent of the *invoice* value will except where some amount (upto say 10 per cent) has been withheld towards Performance Guarantee will be paid against shipping documents.

The importer shall effect payment to the Swiss Supplier/Suppliers on the strength of the Exchange Control copy of the import licence through the normal banking channels. No letter of credit will be opened by the Indian banks for a period longer than the period for which the import licence is valid.

20. For the release of free foreign exchange on account of freight/insurance, the importer will approach the Department of Economic Affairs a month or so in advance of the date of shipment. In no case the gap between this release and the date of shipment should exceed three months.

21. (i) The importer will furnish to the Department of Economic Affairs (Economic Aid Accounts Branch) within one month of the shipment of the goods two copies of the invoice bearing a certificate from the supplier, that

(a) The supplier has received a sum of..... Swiss Francs amounting to 10 per cent of the invoice value on conclusion of the contract; and

(b) The supplier has received a sum of Swiss Francs amounting to 90 per cent of the invoice value on shipment of goods, except for the amount held back for customary performance guarantee in terms of para 19(ii) above.

(ii) Where, some amount, say 10 per cent has been withheld towards performance guarantee, the importer will furnish to the Department of Economic Affairs, Economic Aid Accounts Branch, as soon as the amount has been paid to the Swiss supplier, two copies of the invoice bearing a certificate from the supplier that;

"The supplier has received a sum of.....Swiss Francs amounting to..... per cent of the Invoice value (on satisfactory performance of the plant)".

22. The Importer's bankers will be responsible for sending a copy of the 'A' form pertaining to the remittance to the supplier, to the Controller of Aid Accounts, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi, as soon as they make the remittances.

REVALIDATION OF IMPORT LICENCES FOR COMPLETION OF SHIPMENTS

23. For revalidation of import licence for completion of shipments, due regard will be given to the delivery schedule indicated in the contract and the subsequent amendments thereto as per procedure indicated in paragraph 12(vi) above. A strict view will, however be taken in cases where the revalidation sought is for a period beyond three (3) months from the date of release of foreign exchange for payment of the freight/insurance charges.

SUBMISSION OF REPORT

24. A monthly report, as in Annexure III showing the utilisation status of the import licence should be furnished to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (W.E. III Branch), North Block,, ,,New Delhi.

MISCELLANEOUS

25. The Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, which may arise, between the Indian importer and the Swiss suppliers.

26. The Indian importer shall promptly comply with any direction, instructions, or orders issued by Government from time to time regarding any and all matters arising or pertaining to the import licence.

27. Any breach or violation of any of the conditions prescribed herein will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act, 1947, and orders issued thereunder.

ANNEXURE I

SWISS-INDIAN CREDITS

RECEIPT

Please mark with X whether First Credit ———
Second Credit ———
Third Credit ———

Contract EVD-Nr.: ———
Indian Importer : ———
Approved invoice value : S. Frs.———(total amount)
Indian Import Licence :———
Swiss Export Risk Guarantee Nr. :———
Exporter's Reference :———
Description of the goods
We acknowledge having received from the Indian importer

A 10% SFRS ON conclusion of the contract *i.e.* on (date)
90% SFRS On shipment of the goods *i.e.*on (date)
100% SFrs. Total

Please mark with X whether the receipt covers
———the whole contract
——— Part shipment (s)
———the final shipment
Date of shipment: (in case of part shipments, date of last delivery).

B % SFrs. *Guarantee deposit* Paid on———(date)

(Place and date) (*Signature of the Swiss exporter*)

ANNEXURE II

(*In Duplicate*)

(Reference Part 14)

To

The Secretary,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
W.E.III Branch,
North Block, Central Secretariat,
New Delhi.

SUBJECT.—*Imports under the Third Swiss Credit.*

Sir,

In connection with the import of ——— (short description of the goods or services) from Switzerland under the Third Swiss Credit, we furnish the following particulars:—

(i) Details of the import licence—
(a) Number,

(b) Date of issue and date of revalidation, if any, and period of validity,

(c) Value.

(ii) Whether contract finalised within the validity period of the import licence, if not, reason for the same.

(iii) Name and address of the Indian importer.

(iv) Name and address of the Swiss suppliers.

(v) Value of the contract in Swiss Francs———:—

(vi) Short description of goods to be imported.

(vii) Schedule for deliveries—expected date of completion of deliveries.

(vii) Schedule for deliveries—expected date of completion of deliveries.

2. Four certified copies of the Provisional Contract (or confirmation of the order and the letter of acceptance/confirmation from the suppliers) and of the amendment (if any), and a photostat copy of the Import Licence are enclosed.

3. You are requested to forward the contract to the Swiss authorities for approval for being financed under the Third Swiss Credit.

Yours faithfully
Licensee.

ANNEXURE III

Form of Utilisation Report in respect of Third Swiss Credit
(to be furnished separately in respect of each Licence)

1. Name of the Importer.
2. Number and Date of Iimport Licence.
3. Value of the Import Licence.
4. Value of orders placed.
5. Value of orders yet to be placed.
6. Payments made against the orders already placed.
7. Payments yet to be made (with a quarterly estimate of payments with values and anticipated date of payment).
8. Surrenders, if any.

Signature of the authorised
Officer of the Importer.

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1974

विषय.—पूंजी गत माल के लिए तृतीय स्वीस क्रेडिट के अन्तर्गत लाइसेंस शर्तें।

सं० 42-आई० टी० सी० (पी० एन०)/74.—पूंजी गत माल के लिए तृतीय स्वीस क्रेडिट के अन्तर्गत आयात लाइसेंसों को जारी करने के लिए लागू होने वाली जैसी शर्तें इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, ये जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती हैं ।

परिशिष्ट

तृतीय स्वीस क्रेडिट के अन्तर्गत आयातों के लिए लाइसेंस प्रदान करने से सम्बन्धित शर्तें।

तृतीय स्वीस क्रेडिट के अन्तर्गत जारी किए गए आयात लाइसेंस निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे :—

1. संविदा के लिए आयात लाइसेंस प्रारम्भिक 4 मास की वैधता अवधि के लिए लागत सीमा भाड़ा के आधार पर जारी किए जायेंगे और पोतलदान तथा भुगतानों को पूर्ण करने के लिए सामान्यतया 12 मास की अवधि तक वैध होंगे।

2. लेकिन पोतलदान और भुगतानों को पूर्ण करने के लिए 18 मास तक की लम्बी प्रारम्भिक वैधता अवधि के लिए आयात लाइसेंसों को जारी करने के मामले पर पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा और यह तभी होगा जबकि आयातक आयात लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय लम्बी वैधता अवधि के साथ आयात लाइसेंस जारी करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य स्थापित करने की स्थिति में है।

पोतलदान पूर्ण करने के लिए आयात लाइसेंसों की उत्तरवर्ती वैधता, नीचे की कंडिका 23 में दी गई शर्त के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

2. प्रत्येक आयात लाइसेंस पर अभिलेख "तृतीय स्वीस क्रेडिट" होगा। लाइसेंस कोड विशिष्टीकरण संख्या में प्रत्यय "आर० एम० जैड०" होगा।

3. आयात लाइसेंस की पावती के 15 दिनों के भीतर ही आयातक आयात लाइसेंस और संविदा दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की संभाव्य तिथि के बारे में वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू० ई–3 अनुभाग) को अवगत कराएगा।

4. तृतीय स्वीस क्रेडिट के मद्दे जारी किए लाइसेंसों के अन्तर्गत केवल स्वीस मूल के पूंजीगत माल ही आयात करने के लिए योग्य होंगे।

5. आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि, हैंडबुक की कंडिका 253 के अन्तर्गत रियायती अवधि की सुविधा इस क्रेडिट के अन्तर्गत वित्तदान किए गए आयातों के लिए लागू नहीं होगी।

संविदा करना

6. भारतीय आयातक तथा स्वीस संभरक दोनों के द्वारा अंग्रेजी भाषा में विधिवत् निष्पादित तथा हस्ताक्षरित अस्थायी संविदा की चार प्रमाणित प्रतियां अवश्य ही वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग, डब्ल्यू० ई-3 अनुभाग) नार्थ ब्लाक, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली को **आयात लाइसेंस के जारी होने की तारीख से 4 मास की अवधि के भीतर भेज दी जानी चाहिए।**

जहां इस अनुबन्ध का अनुपालन नहीं किया जाता है तो आयात लाइसेंस अवैध हुआ माना जाएगा। लाइसेंस धारक आयात लाइसेंस के पुर्नवैधिकरण के लिए मूल आयात लाइसेंस के साथ एक आवेदन पत्र यह कारण बताते हुए लाइसेंस प्राधिकारी को भेजेगा कि वह निर्धारित 4 मास की अवधि के भीतर संविदायें प्रस्तुत करने में क्या असमर्थ रहा। साथ ही साथ इस आवेदन पत्र की एक प्रति वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू० ई०-3 शाखा) नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित की जाएगी। ऐसे आवेदन पत्रों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा और संविदा करने के लिए लाइसेंस को 2 मास तक की और अवधि के लिए पुर्नवैध किया जायगा। इस अवधि से परे किसी प्रकार के पुर्नवैधीकरण के लिए आर्थिक कार्य विभाग का पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक होगा।

7. सामान्यतया संविदा में दोनों पार्टियां अर्थात् भारतीय आयातक तथा स्वीस संभरक द्वारा हस्ताक्षरित एक करार होगा या इसमें भारतीय आयातक द्वारा दिए गए आदेश और स्वीस संभरक द्वारा सुस्पष्ट शर्तों के अनुसार उसका स्वीकरण/पुष्टिकरण शामिल हो सकता है।

8. उस संविदा को जिसमें दोनों पार्टियों के बीच विभिन्न व्यवस्थाओं को प्राय : संशोधन/आशोधन करने के परिणामत: दस्तावेजों की एक श्रंखला शामिल हो, उसे सामान्यतया स्वीकार नही किया जाएगा। ऐसे मामले में यह उपयुक्त है कि एक अन्तिम दस्तावेज तैयार किया जाए जिसमें वह शर्तें होनी चाहिए जिन पर दोनों पार्टियां सहमत हों और इस सम्बन्ध में उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

संविदा की सामान्य शर्तें

9. अस्थायी संविदा जहाज पर निशुल्क मूल्य के आधार पर की जानी चाहिए। मूल्य स्वीस फ्रेन्क में प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

10. यदि स्वीस संभरक के भारतीय अभिकर्ता को किसी प्रकार का कमीशन अदा किया जाना है तो इसे संविदा के मूल्य से अलग दर्शाया जाएगा। भारतीय अभिकर्ता का कमीशन आयातकों द्वारा भारतीय रुपयों में अदा किया जाएगा परन्तु उसे आयात लाइसेंस के कुल मूल्य के मद्दे घटाया जाएगा जिसकी गणना केन्द्रीय विनिमय दर के आधार पर की गई है जिसकी वर्तमान दर 1 स्वीस फ्रेन्क–1.896 रुपये है लेकिन विनिमय की उक्त दर परिशोधनाधीन है।

संविदाओं की मूल्य सीमाएं

11. प्रत्येक संविदा का मूल्य एक हजार स्वीस फ्रेन्क (केन्द्रीय विनिमय दर पर 1,90,000 रुपये) से कम नहीं होना चाहिए।

अन्य शर्तें

12. तृतीय स्वीस क्रेडिट के अन्तर्गत संविदा के वित्तदान के लिए योग्य बनाने के लिए उपयुक्त निर्धारित शर्तों और अन्य ऐसी शर्तों जो संविदा करने वाली पार्टियों द्वारा आवश्यक समझी जाए के अतिरिक्त संविदा में निम्नलिखित व्यवस्थाएं भी शामिल की जानी चाहिएं :—

(1) संविदा के अन्तर्गत आयात किए जाने वाले माल स्वीस मूल के हैं।

(2) दोनों संविदा करने वाली पार्टियां इस बात पर सहमत है कि संविदा स्वीस क्रेडिट के अन्तर्गत वित्तदान के लिए भारतीय तथा स्वीस प्राधिकारियों दोनों के अनुमोदन के अधीन है।

(3) इसमें संकेतित कीमतें संविदा की मियाद के लिए दृढ़ हैं।

(4) संविदा में एक उपबंध होना चाहिए जिसके अन्तर्गत संभरक के लिए यह आवश्यक हो कि वह स्वीस क्रेडिट बैंक को उसके द्वारा पोतलदान या अंशत: पोतलदान के भुगतान की पावती के बारे में या ऐसी पावती के 7 दिनों के भीतर भारतीय आयातक द्वारा एक गारंटी निक्षेप [नीचे पारा 19 (1) तथा 19(2) में संदर्भित] के बारे में परामर्श दे जिससे कि स्वीस क्रेडिट बैंक भारत सरकार के लिए धनराशि की प्रतिपूर्ति कर सके। संभरकों द्वारा स्वीस क्रेडिट बैंक को इस प्रकार के परामर्श अनुबंध –I में दिए गए प्रपत्र में तीन प्रतियों में भेजे जाने चाहिएं और बैंक को निवेदन किया जाना चाहिए कि वह भारत के राजदूतावास को दो प्रतियां भेजे जो आगे एक प्रति नियंत्रक सहायता लेखा नई दिल्ली को प्रेषित करेंगा।

(5) संविदा में सामान्तया भारत में पूंजीगत माल के निर्माण के लिए प्रविधिज्ञों की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के लिए और/अथवा प्रथागत निष्पादन गारंटी के सम्पादन में यंत्र के संचालन के लिए वित्तदान के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन, उस मामले में जहां ऐसी व्यवस्था अनिवार्य समझी जाती है तो पूंजीगत माल के संभरण के लिए संविदा करने से पूर्व ऐसे निम्नांकित व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए भारतीय आयातक द्वारा अलग से आवश्यक अनुमति लेनी पड़ेगी। पूंजीगत माल के संभरण के लिए संविदा के साथ इस प्रकार के अनुमोदन पत्र की प्रमाणित/फोटो प्रतियां भी होनी चाहिए। भारतीय आयातक को चाहिए कि वह इस प्रकार के अनुमोदन को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय या उसके प्रयोजक अधिकारी के साथ सम्पर्क स्थापित करे।

(6) संविदा में सुपुर्दगी सारणी साफ-साफ संकेतित की जाएगी। सुपुर्दगी सारणी में किसी किस्म के परिवर्तन करने की स्थिति में परिवर्तन के लिए उपयुक्त विवरण देते हुए शीघ्र ही वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू० ई-3 शाखा) को सूचना दी जाएगी।

प्रथागत गारंटी (गारंटियां)

13. आयातक करार में प्रथागत गारन्टी (यों) का प्रबन्ध और व्यवस्था कर सकता है जो उसके स्वयं के हित की सुरक्षा के लिए आवश्यक होगी।

संविदा का प्रस्तुतीकरण

14 संविदा-निष्पादनके एक मास के भीतर ही आयातक को चाहिए कि वह निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ एक पत्र वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू० ई-3 शाखा), नार्थ ब्लाक, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली,-1 को भेजे :—

(1) भारतीय आयात तथा स्वीस संभरक दोनों के द्वारा अंग्रेजी भाषा में विधिवत निष्पादित तथा हस्ताक्षरित अस्थायी संविदा की चार प्रमाणित प्रतियां,

(2) आयातक द्वारा विदेशी संभरक के लिए दिए गए आदेश और उसके द्वारा संविदा/अनुमोदान के निष्पादन के दिनांक को संविदा करने के लिए वैध आयात लाइसेंस की फोटो प्रति;

(3) अनुबन्ध-2 में निर्धारित अन्य ब्यौरे।

आयातक द्वारा इन सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के बाद ही संविदा पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

संविदा की अधिसूचना

15. यदि संविदा पूर्ण है, दस्तावेज आदि सही हैं और संविदा करने के लिए आयात लाइसेंस वैध है तो इसे भारत में स्वीटजरलैंड के राजदूतावास नई दिल्ली के माध्यम से स्वीस प्राधिकारियों को आर्थिक कार्य विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

16. संविदा तभी प्रभावी समझी जाएगी जबकि स्वीस प्राधिकारियों के अनुमोदन प्राप्त करने के बाद आर्थिक कार्य विभाग ने इस सम्बन्ध में एक पत्र जारी कर दिया है।

17. आर्थिक कार्य विभाग और स्वीस प्राधिकारियों द्वारा अस्थायी संविदा के अनुमोदन के पश्चात अन्तिम संविदा तैयार की जानी चाहिए और इसकी तीन प्रतियां शीघ्र अति शीघ्र वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू० ई० 3 शाखा) को प्रेषित की जानी चाहिए ।

भुगतान नियम

18. आयात लाइसेंस या खोले गए खास पत्र के मद्दे तब तक किसी किसम की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति नहीं दी जायगी जब तक कि आयातक वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग से इस सम्बन्ध में एक पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता है कि संविदा भारत सरकार और स्वीस प्राधिकारियों दोनों के अनुमोदन के पश्चात प्रभावी की गई हैं ।

19. (1) अन्तिम संविदा को प्रभावी बनाने वाले पत्र के जारी होने के साथ साथ बीजक के 10% मूल्य के लिए प्रेषण प्राधिकृत कर दिया जाएगा,

(2) बीजक के 90 प्रतिशत मूल्य को, लेकिन ऐसी कुछ धनराशि को छोडकर (10 प्रतिशत कह सकते हैं) जिसे निष्पादन गारन्टी के मद्दे रोक लिया गया है पोतलदान दस्तावेजों के मद्दे अदा कर दिया जाएगा ।

आयातक स्वीस/संभरकों के लिए भुगतान को लाइसेंस मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति के आधार पर सामान्य बैंकिंग सूत्र के माध्यम से प्रभावी बनाएगा । भारतीय बैंकों द्वारा कोई भी खास पत्र जितनी अवधि के लिए लाइसेंस वैध है, उतनी अवधि से अधिक अवधि के लिए नहीं खोला जाएगा ।

20. भाड़े/बीमे के लिए मुक्त विदेशी मुद्रा की रिहाई के लिए आयातक पोतलदान की तिथि एक महीना या इससे कुछ कम या अधिक से पहले ही आर्थिक कार्य विभाग से सम्पर्क स्थापित करेंगे । इस रिहाई और पोतलदान की तिथि में किसी भी मामले में तीन महीनों से अधिक अन्तर नहीं होना चाहिए ।

21. (1) आयातक माल के पोतलदान के एक महीने के भीतर बीजक की दो प्रतियां आर्थिक कार्य विभाग (आर्थिक सहायता लेखा शाखा) को संभरक के इस प्रमाणपत्र के साथ भेजेगा कि :—

(क) संभरक ने संविदा की समाप्ति पर बीजक मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर स्वीस फ्रेंक्स की धनराशि प्राप्त कर ली है; और

(ख) संभरक ने उपर्युक्त पैरा 19(2) के अनुसार प्रथागत निष्पादन गारन्टी के लिए रोकी गई धनराशि को छोड़कर पोतलदान पर बीजक मूल्य के 90 प्रतिशत के बराबर..... स्वीस फ्रेंक्स की धनराशि प्राप्त कर ली है ।

(2) जबकि कुछ धनराशि अर्थात 10 प्रतिशत निष्पादन गारन्टी के लिए रोक ली गई है, स्वीस संभरक को धनराशि चुकाए जाते ही आयातक आर्थिक कार्य विभाग, आर्थिक सहायता, लेखा शाखा को बीजक की दो प्रतियां संभरक के इस प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा कि :—

"संभरक ने बीजक मूल्य के प्रतिशत के बराबर स्सीस फ्रेंक्स की धनराशि प्राप्त करली है (संयन्त्र के संतोषजनक निष्पादन पर)

22. आयातक के द्वारा धन परेषण करते ही संभरक को धन परेषण से सम्बन्धित प्रपत्र 'ए' की एक प्रति सहायता लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजने के लिए उत्तर दायी होंगे ।

पोतलदानों को पूरा करने के लिये आयात लाइसेंसों का पुनर्वधीकरण :

23. पोतलदान पूर्ण करने के लिए आयात लाइसेंसों के पुनर्वधीकरण के लिए संविदा में निर्दिष्ट वितरण अनुसूची पर और उपयुक्त पैरा 12 (6) में निर्दिष्ट क्रिया विधि के अनुसार उसमें बाद में होने वाले संशोधनों पर उचित ध्यान दिया जाएगा । लेकिन जिन मामलों में भाडा बीमा प्रभारों के भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा की रिहार्ड की तिथि से तीन महीनों के बाद की अवधि के लिए पुनर्वधीकरण मांगा जायगा उन पर दृढ़ता पूर्वक विचार किया जाएगा ।

रिपोर्ट प्रस्तुत करना

24. आयात लाइसेंस के उपयोग को स्थिति को प्रदर्शित करते हुए अनुबन्ध 3 के अनुसार एक मासिक रिपोर्ट वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डबल्यू० ई०-3 ब्रान्च) नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए ।

विधि

25. भारतीय आयातक और स्वीस संभरकों के बीच यदि कोई भी प्रतिवाद उठेगा तो भारत सरकार उसकी जिम्मेवारी नहीं लेगी ।

26. भारतीय आयातक आयात लाइसेंस से सम्बन्धित किसी एक या सभी मामलों के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए किसी भी निदेश, अनुदेश या आदेश का तुरन्त पालन करेगा ।

27. इस सार्वजनिक सूचना में निर्धारित शर्तों में से किसी भी शर्त का अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और उसके अधीन जारी किए गए आदेशों के अन्तर्गत उचित कार्यवाही की जाएगी ।

अनुबन्ध 1

रसीद

स्वीस भारतीय क्रडिट

कृपया × से चिह्नित कीजिए कि क्या प्रथम क्रेडिट _____

द्वितीय क्रडिट _____

ततीय क्रेडिट है; _____

संविदा ईवीडी–सं० _____

भारतीय आयातक _____

अनुमोदित बीजक मूल्य : स्वीस फ्रेंक्स _____ (कुल धन राशि)

भारतीय आयात लाइसेंस _____

स्वीस निर्यात जोखिम गारन्टी सं० _____

निर्यातक का संदर्भ _____

माल का विवरण _____

हम भारतीय आयातक से

क. संविदा पूर्ण होने पर अर्थात् ——————(तिथि) को 10 प्रतिशत स्वीस फ्रैंक्स
माल के पोतलदान पर अर्थात् ——————(तिथि) को 90 प्रतिशत स्वीस फ्रैंक्स
कुल 100 प्रतिशत स्वीस फ्रैंक्स

प्राप्त कर लेने पर पावती-सूचना देते हैं ।

कृपया × से चिह्नित कीजिये कि क्या रसीद में

——————

——————पूर्ण संविदा

——————

——————आंशिक पोतलदान

——————

——————अंतिम पोतलदान

शामिल है ।]

पोतलदान की तिथि : (आंशिक पोतलदानों के मामले में आखरी वितरण की तिथि)

ख. प्रतिशत—स्वीस फ्रैंक्स गारन्टी निक्षेप

——————

——————(तिथि) को चुकाया

(स्थान और तिथि)

(स्वीस निर्यातक के हस्ताक्षर)

अनुबन्ध 2

(दो प्रतियों में)

(संदर्भ पैरा 14)

सेवा में,

सचिव,
वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग,
डब्ल्यु-ई-3 शाखा, नाथ ब्लाक,
केन्द्रीय सचिवालय,
नई दिल्ली ।

विषय : तीसरे स्वीस क्रेडिट के अधीन आयात ।

महोदय,

तृतीय स्वीस क्रेडिट के अधीन स्विटजरलैण्ड से —————— ——————————
——————————————के आयात के सम्बन्ध में हम निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं :— (माल या सेवाओं का संक्षिप्त विवरण)

(1) आयात लाइसेंस के ब्यौरे :

(क) संख्या :

(ख) जारी होने की तारीख और पुनर्बंधीकरण की तारीख यदि कोई हो तथा बैधता की अवधि :

(ग) मूल्य ।

(2) क्या संविदा आयात लाइसेंस की वधता अवधि के भीतर पूर्व की गई, यदि नहीं तो इसका कारण क्या है :

(3) भारतीय आयातक का नाम और पता :

(4) स्वीस संभरक का नाम और पता ।

(5) स्वीस फ्रैंक्स में संविदा का मूल्य :

(6) आयात किए जाने वाले माल का संक्षिप्त विवरण:

(7) वितरण के लिए अनुसूची—वितरण पूर्ण होने की सम्भावित तिथि ।

(8) भारतीय अभिकर्त्ता का कमीशन, यदि कोई संविदा में शामिल किया गया हो ।

2. अनन्तिम संविदा (या आदेश और स्वीकृति-पत्र की पुष्टि, (संभरक से पुष्टि) की और संशोधन (यदि कोई हो) की चार प्रमाणित प्रतियां और आयात लाइसेंसकी फोटो स्टेट प्रति संलग्न की जाती है ।

3. आप से संविदा को तृतीय स्वीस क्रेडिट के अधीन वित्त दान करने के अनुमोदन के लिए स्वीस प्राधिकारियों को अग्रेषित करने के लिए निवेदन किया जाता है ।

भवदीय,

लाइसेंसधारी ।

अनुबन्ध 3

तृतीय स्वीस क्रेडिट के सम्बन्ध उपयोग रिपोर्ट प्रपत्र

(प्रत्येक लाइसेंस के सम्बन्ध में अलग से प्रस्तुत किया जाना है)

1. आयातकों का नाम :

2. आयात लाइसेंस की संख्या और दिनांक :

3. आयात लाइसेंस का मूल्य :

4. दिए गए आदेशों का मूल्य :

5. आगे दिए जाने वाले आदेशों का मूल्य :

6. पहले ही दिए गए आदेशों के प्रति किए गए भुगतान :

7. आगे किए जाने वाले भुगतान (मूल्य और भुगतानों की प्रत्याशित तिथियों के साथ भुगतानों के त्रैमासिक औसत सहित)।

8. अभ्यर्पण, यदि कोई हो ।

आयातक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर ।

एस० जी० बोस मलिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974